

असलम उर्फ इमरान

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील क्र. 1538/2025)

27 मार्च 2025

(न्यायमूर्ति श्री बी.आर. गवई* एवं न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह)

विचारणीय बिंदु

यह मामला अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आरोपी-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के आदेश की वैधता से संबंधित है।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – हत्या – अपीलार्थी और पीड़ित के मध्य गाली-गलौज वाली लड़ाई – अपीलार्थी ने पीड़ित पर कसाई के चाकू से हमला किया और चोटों के कारण पीड़ित की मृत्यु हो गई – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया – वैधता :

अभिनिर्धारित: सूचनादाता –अ.स. -1 की साक्ष्य अ.स-6 की साक्ष्य से विरोधाभासी है – अ.स-1 के कथनों को जब अ.स-6 के कथनों से तुलना की जाती है, तो यह स्पष्ट तौर पर इस साक्षी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है – उसके कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं होना, जिन साक्षियों ने मृतक को अस्पताल पहुंचाया था, उन्होंने भी न तो पुलिस थाने को और न ही उस पुलिस आरक्षक को बताया जो घटना वाली जगह से लगभग 50 कदम की दूरी पर खड़ा था – अ.स-1 मृतक का भाई है और इसलिए एक हितबद्ध साक्षी है – अ.स-1 के कथनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता – अ.स-2 का व्यवहार उसकी साक्ष्य को अस्वाभाविक बनाता है – अ.स-3 के कथनों पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है – इसके अलावा, अ.स-4 केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर साक्ष्य दे रहा था, और अन्य साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया – इस प्रकार, अभियोजन साक्षियों की सत्यता पर गंभीर संदेह है – साथ ही, अभिलेख पर यह साक्ष्य है की मृतक पूर्वापराधी था और उस पर हत्या करने के प्रयत्न सहित कई आपराधिक मामले चल रहे थे, और अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कि मृतक और अपीलार्थी के मध्य पहले से शत्रुता थी – दुश्मनी एक दोहरी धार वाला हथियार है – एक तरफ, यह आशय देती है, दूसरी तरफ यह झूठे फंसाए जाने की संभावना को भी खारिज नहीं करती है – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति से, पूर्व शत्रुता के आधार पर अपीलार्थी को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है – अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है – अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश खारिज और अपास्त किया जाता है। [कंडिका 13-23]

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

हत्या; अभियोजन साक्षी; सुनी-सुनाई बातें; पक्षद्रोही साक्षी; संदेह का लाभ; झूठा फंसाया गया

किससे उद्भूत मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील क्रमांक 1538/2025

आपराधिक अपील क्रमांक 6/1996 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 26.09.2024 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

श्री संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, पृथ्वी राज चौहान, वेंकटेश राजपूत, नेपाल सिंह, वरुण कुमार, मेघराज सिंह – अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर – अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री बी.आर. गवई

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. वर्तमान अपील में, अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक अपील क्रमांक 6/1996 पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर¹ की खंडपीठ द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2024 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील को खारिज कर दिया था और तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (मध्य प्रदेश)² द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 1023/1994 में पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860³ की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
3. विस्तृत जानकारी के अभाव में, वर्तमान अपील के तथ्य निम्नलिखित हैं:
 - 3.1 22 अगस्त 1994 को दोपहर 12 बजे, मृतक ज़ाहिद खान उर्फ गुड्डु पर हुए हमले की सूचना ओमती पुलिस थाने को दी गई और उसके बाद उप-निरीक्षक ए.के. बाजपेयी (अ.स. -12) द्वारा दोपहर 1:30 बजे देहाती दर्ज की गई।
 - 3.2 मृतक के भाई शाहिद खान (अ.स. -1) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, उसी दिन ओमती थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 461/1994 दर्ज की गई, जिसमें मृतक पर हुए हमले का वर्णन किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:

22 अगस्त 1994 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, अभियुक्त-अपीलार्थी असलम उर्फ इमरान और मृतक के बीच "नया मोहल्ला" इलाके में सड़क पर गाली-गलौज के बाद झगड़ा हो गया। इसके बाद अभियुक्त ने मृतक पर कसाई चाकू (बका) से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथों और जांघों पर कई चोटें आईं और गर्दन पर गहरा घाव हो गया, जिससे मृतक का अत्यंत खून बहने लगा। अभियुक्त

घटनास्थल से भाग गया और घायल मृतक को शाहिद खान (अ.स.-1) और अन्य लोगों द्वारा विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

3.3. उसी दिन लगभग दोपहर 2:10 बजे मृतक[#] की मृत्यु हो गई। उसी दिन उप-निरीक्षक वाजपेयी (अ.स.-11) द्वारा लाश पंचनामा लिखा गया और उस पर शाहिद खान (अ.स.-1) और अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। जाँच प्रारम्भ की गई, घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी जब्त की गई और शव को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया।

3.4 अभियुक्त को 25 अगस्त 1994 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर, अभियुक्त के घर पर रखे एक कंटेनर से खून आलूदा कसाई चाकू (बका) बरामद किया गया।

3.5. अन्वेषण पूरा होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

3.6 दिनांक 21 नवंबर 1995 के निर्णय और आदेश के द्वारा, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषिसिद्ध किया गया और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया।

3.7 आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषिसिद्ध करने के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा, और जमानत पर बाहर आए अपीलार्थी को निर्देश दिया कि वह अपनी शेष कारावास के दंड को भोगने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

3.8. इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गई है।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय आर. हेगड़े और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर को सुना है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हेगड़े ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षीगण विश्वसनीय नहीं हैं और उनकी अभिसाक्ष्य साक्ष्य एक-दूसरे से असंगत है। अतः ऐसी अभिसाक्ष्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि, विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है।

6. वैकल्पिक रूप से, श्री हेगड़े का तर्क है कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य को भी उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए, तो भी यह स्पष्ट रूप से प्रकट होगा कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। मृतक के पास चाकू था। झगड़े के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने मृतक का चाकू उठाया और उस पर हमला कर दिया। अतः उनका तर्क है कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी-अभियुक्त का मृतक की हत्या करने का कोई आशय था। उनका तर्क है कि, किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ पाने का हकदार होगा और यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की श्रेणी में नहीं आएगा।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री एल्कर का तर्क है कि प्रत्यक्षदर्शियों की अभिसाक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। यह तर्क दिया गया है कि साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के उपरांत, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने ही मृतक की हत्या कारित की थी और इस तरह, वर्तमान अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
8. अपीलार्थी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, हमने अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का सूक्ष्म परीक्षण किया है।
9. अभियोजन पक्ष मुख्यतः शाहिद खान पुत्र बाबू खान (अ.स.-1), जो मृतक रस्सू पुत्र अब्दुल गफ्फार (अ.स.-2), आसिफ खान पुत्र यूसुफ खान (अ.स.-3) और सैयद वाहिद अली पुत्र सैयद आबिद अली (अ.स.-4) का भाई है, के साक्ष्य पर निर्भर करता है।
10. जहाँ तक शाहिद खान (अ.स.-1) का संबंध है, उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना की दिनांक को लगभग 11:00 पूर्वाह्न से 12:00 अपराह्न के बीच, जब वह गोप चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहा था, अभियुक्त असलम उर्फ इमरान और मृतक गुड्डू ने एक-दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसी समय, अभियुक्त असलम उर्फ इमरान ने मृतक गुड्डू पर बका से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने मृतक गुड्डू को उठाया और अस्पताल ले गए। उसने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि मृतक गुड्डू का हाथ और सिर उसके कंधे पर था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतक गुड्डू के शरीर से काफी खून बह रहा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हालाँकि उन्होंने बनियान पहनी हुई थी, लेकिन उनकी बनियान पर खून नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मृतक गुड्डू का खून आसिफ खान (अ.स.-3) पर नहीं गिरा, जो उनके साथ था।
11. शाहिद खान (अ.स. -1) के कथन से यह स्पष्ट है कि हालाँकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना देखी थी, लेकिन उन्होंने न तो पुलिस थाने में, जो थोड़ी दूरी पर था, और न ही विक्टोरिया अस्पताल में इसकी सूचना दी।
12. इस साक्षी की साक्ष्य अब्बी पुत्र मंजूर खान (अ.स. -6) की साक्ष्य से विरोधाभासी है। अब्बी (अ.स.-6) ने कहा कि जब उसने मृतक गुड्डू को घायल अवस्था में देखा, तो शाहिद खान (अ.स.-1) वहाँ नहीं था। शाहिद खान (अ.स.-1) तभी आया जब अब्बी (अ.स.-6) ने उसे मुख्तार नामक व्यक्ति के माध्यम से बुलाया।
13. शाहिद खान (अ.स.-1) की अभिसाक्ष्य की तुलना अब्बी (अ.स. -6) की अभिसाक्ष्य से करने पर इस साक्षी की सत्यता पर स्पष्ट रूप से संदेह उत्पन्न होता है। यदि मृतक गुड्डू को शाहिद खान (अ.स. -1) ले जा रहा था और यदि मृतक गुड्डू का हाथ और सिर उसके कंधे पर थे, तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे न होना उसके कथन की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यद्यपि उसने घटना देखी थी, फिर भी उसने पुलिस थाने या विक्टोरिया अस्पताल में इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उल्लेखनीय है कि शाहिद खान (अ.स. -1) मृतक गुड्डू का भाई है और इस प्रकार, एक हितबद्ध साक्षी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी साक्षी का केवल हितबद्ध साक्षी होना ही उसकी अभिसाक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। हालाँकि, ऐसे साक्षी के साक्ष्य की अधिक सावधानी और सतर्कता से जाँच की जाना आवश्यक है। शाहिद खान (अ.स.-1) के साक्ष्य के अवलोकन से, हमें ऐसा नहीं लगता कि इस साक्षी की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय है।
14. रस्सू (अ.स.-2) ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना की दिनांक को मृतक गुड्डू और अपीलार्थी-अभियुक्त के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक गुड्डू पर चाकू से हमला किया। उसने

बताया कि उसकी साइकिल की दुकान घटनास्थल से 25-30 फीट की दूरी पर थी। अपने प्रति-परीक्षण में, उसने कहा कि जिस चाकू को अपीलार्थी-अभियुक्त से बरामद किया जाना अभिकथित किया गया था, वह वही चाकू नहीं था जिसका इस्तेमाल अपराध करने में किया गया था। उन्होंने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि ओमती पुलिस थाना घटनास्थल से 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि घटनास्थल से लगभग 50 कदम की दूरी पर एक पुलिस आरक्षक भी खड़ा था। हालाँकि, न तो उन्होंने पुलिस आरक्षक को जाकर घटना की सूचना देना ज़रूरी समझा और न ही पुलिस स्टेशन जाना ज़रूरी समझा, जो वहाँ से 5 मिनट की पैदल दूरी पर था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि हालाँकि उनकी साइकिल की दुकान के ठीक सामने स्थित कैपिटल लॉज में एक टेलीफोन था, फिर भी उन्होंने न तो पुलिस थाने को फ़ोन करना ज़रूरी समझा और न ही किसी को पुलिस थाने फ़ोन करके घटना की सूचना देने के लिए कहा। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्हें नहीं पता कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ। उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने दुर्व्यवहार के बाद अभियुक्तों और मृतक गुड्डू को देखा, तो उनके हाथ खाली थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि मृतक गुड्डू के खून से उसके साथियों के कपड़े भी रंग गए थे। हालाँकि उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक गुड्डू का घर 2-4 मिनट की पैदल दूरी पर था, फिर भी उन्होंने उसके परिवार वालों को घटना की सूचना देना ज़रूरी नहीं समझा। इस साक्षी का आचरण या तो पुलिस को घटना की सूचना देना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि पुलिस थाना सिर्फ़ 4-5 मिनट की पैदल दूरी पर था, या फिर पुलिस को फ़ोन पर सूचना देना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि फ़ोन उसकी दुकान के ठीक सामने था, और इसके अलावा 50 फीट की दूरी पर खड़े पुलिस आरक्षक को भी सूचित नहीं किया, जिससे उसकी अभिसाक्ष्य अस्वाभाविक हो जाती है। हालाँकि मृतक का घर भी 2-4 मिनट की पैदल दूरी पर था, फिर भी उसने अपने रिश्तेदारों को घटना की सूचना देना ज़रूरी नहीं समझा।

15. आसिफ़ खान (अ.स. -3) ने कथन किया कि घटना की दिनांक को अर्थात् 22 अगस्त 1994 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, जब वह बाजीद टी होटल में चाय पी रहा था, मृतक गुड्डू ने उससे कहा कि वह अपने भतीजे को उसके माता-पिता के घर छोड़ने जा रहा है। उसने कहा कि इसके तुरंत बाद, उसने गालियों की आवाज सुनकर मुड़कर देखा कि आरोपी-अपीलार्थी मृतक गुड्डू को गालियाँ दे रहा था। उसने कहा कि आरोपी-अपीलार्थी ने कसाई चाकू से मृतक गुड्डू के दाहिने हाथ पर और फिर दूसरे हाथ पर मारा। उसने कहा कि जब वह वहाँ पहुंचने वाला था, आरोपी-अपीलार्थी ने मृतक गुड्डू की गर्दन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक गुड्डू के शरीर से बहुत खून बहने लगा और वह गिर पड़ा। इसके बाद, आरोपी-अपीलार्थी भाग गया। अपनी प्रति परीक्षण में, उसने कहा कि उसका कथन घटना की तारीख से 8-12 दिनों के भीतर शुरू में दर्ज किया गया था। हालाँकि, जब प्रति-परीक्षण के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने 10-12 दिनों के भीतर दर्ज किए गए उसके कथन की एक प्रति की मांग की, तो विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने निष्पक्ष रूप से कहा कि 8 अक्टूबर 1994 से पहले उक्त साक्षी का कोई कथन दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि या तो उसका कथन पहली बार 8 अक्टूबर 1994 को दर्ज किया गया था, अर्थात् घटना के 45 दिनों के बाद या यदि पहले कोई कथन दर्ज किया गया था, तो उसे छुपा दिया गया था। इस प्रकार, उस आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके बाद, इस साक्षी ने अपने कथन में परिवर्तन कर लिया और कहा कि घटना की तारीख को उसके पैर में चोट के कारण खरोंच थी और इसलिए वह 8 अक्टूबर 1994 तक नहीं जा सका और केवल 8 अक्टूबर 1994 को, वह पुलिस को कथन देने के लिए स्वस्थ हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि हालाँकि वह मृतक गुड्डू के साथ अस्पताल गए थे उसने डॉक्टर को यह नहीं बताया कि की उसकी हत्या अपीलार्थी द्वारा की गई थी।
16. अगला साक्षी सैय्यद वाहिद अली (अ.स. -4) है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि मृतक और अभियुक्त के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पर चाकू से हमला किया। उसके प्रति-परीक्षण का भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

"यह सच है कि मैंने इमरान को चोट पहुँचाते नहीं देखा, मैं यह सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कह रहा हूँ। गुड्डू को अस्पताल ले जाने वालों में केवल अब्बी ही था और कोई नहीं।"

17. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने घटना को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है और केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कथन कर रहा है।
18. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि शाहिद खान (अ.स. -1) ने कथन किया कि मृतक को आसिफ खान (अ.स. -3) के स्कूटर पर अस्पताल ले जाया गया था, आसिफ खान (अ.स. -3) ने अपनी साक्ष्य में कहा कि शाहिद खान (अ.स. -1), रस्सू (अ.स.-2) और वाहिद अली (अ.स.-4) मृतक गुड्डू को उठाकर डॉ. खान के दवाखाना ले गए और उसके बाद उसे विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। इस प्रकार, इन साक्षियों के साक्ष्य इस बिंदु पर पुनः विरोधाभासी हैं।
19. अन्य साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।
20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह बात सामने आई है कि मृतक गुड्डू एक पूर्वापराधी था और उस पर हत्या के प्रयत्न सहित कई आपराधिक मामले दर्ज थे। अभियोजन पक्ष के साक्षियों की साक्ष्य से यह भी बात सामने आई है कि मृतक और अपीलार्थी के बीच पूर्व से ही शत्रुता थी।
21. निम्नलिखित कारक अभियोजन पक्ष के साक्षियों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं:
- (i) मृतक गुड्डू को अस्पताल ले जा रहे साक्षियों के कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं थे;
 - (ii) साक्षियों का न तो पुलिस थाने को और न ही घटनास्थल से लगभग 50 कदम की दूरी पर खड़े पुलिस आरक्षक को सूचित करना;
 - (iii) घटनास्थल पर एक-दूसरे की उपस्थिति के संबंध में साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास:
 - (iv) साक्षियों द्वारा एमएलसी दस्तावेजों में मृतक गुड्डू की मृत्यु का कारण नहीं बताना, जबकि उनके अनुसार वे मृतक को चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति के बारे में जानते थे; और
 - (v) घटना की तारीख के काफी समय बाद साक्षियों के बयान दर्ज करना, जबकि उक्त साक्षी पूरी तरह से उपलब्ध थे।
22. यह एक स्थापित विधि है कि शत्रुता एक दोधारी हथियार है। एक ओर, यह आशय प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह झूठे आरोप की संभावना से भी इनकार नहीं करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रकृति को देखते हुए, वर्तमान अपीलार्थी को पूर्व शत्रुता के कारण झूठा फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः, हमारी राय में, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।
23. परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:
- (i) अपील स्वीकार की जाती है;
 - (ii) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 6/1996 में दिनांक 26 सितंबर 2024 का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 1023/1994 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21 नवंबर 1995 का निर्णय एवं आदेश खारिज एवं अपास्त किया जाता है;

(iii) अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है; और

(iv) अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है। उसके जमानत पत्र निरस्त माने जाएँगे।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, को निराकृत समझे जाएंगे।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

[†] शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा निधि जैन

*** लेखक**

1 इसके बाद इसे "उच्च न्यायालय" कहा जाएगा।

2 इसके बाद इसे "विचारण न्यायालय" कहा जाएगा

3 इसके बाद इसे "भारतीय दंड संहिता " कहा जाएगा

एड. नोट: बाद में जारी किये गए सुधार के अनुसार "आरोपी" की जगह "मृतक" पढ़ा जाए

(सुनीता वासवानी द्वारा अनुवादित)